



78

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़

अरण्य भवन, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, कैपिटल कॉम्पलेक्स, अटल नगर, नवा रायपुर - 492002

(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक - भू-प्रबंध)

दूरभाष: 0771 - 2512840

ई - मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्र०/भू-प्रबंध/विविध/115-741/553

रायपुर, दिनांक २७/02/2020

प्रति,

प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
अटल नगर, रायपुर

विषय: - Diversion of 12.899 ha. of forest land in favour of CAF, Narayanpur, Chhattisgarh for Construction of 16th B.N. (LR.) C.A.F. Head Quarter Establishment under Forest Conservation Act, 1980 in Narayanpur District in the State of Chhattisgarh.

- संदर्भ:** 1. 5.00 हे. से 40 हे. के वन भूमि व्यपवर्तन संबंधी समिति की प्रथम बैठक दिनांक 10.02.2020 का कार्यवाही विवरण।
2. मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त का पत्र क्रमांक/ मा. चि./ न. क्र.39/ 2020/ 464 दिनांक 24.02.2020

-0-

विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें। संदर्भ पत्र-1 के माध्यम से विषयांकित प्रकरण में दो बिन्दुओं की अतिरिक्त जानकारी चाही गई है।

संदर्भ पत्र-2 के माध्यम से उक्त जानकारी मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है जो निम्नानुसार है:-

क्र.	आपत्ति विवरण	आपत्ति का निराकरण
i	The Committee noted that the compensatory afforestation site has been selected at P 2359 in 25.798 ha in Narayanpur Range of Narayanpur Forest Division. Though in the site inspection report the DFO, Narayanpur has stated that the area is orange forest area but in site suitability certificate related to the said CA site does not mention whether the area is an orange forest area, so a revised site suitability certificate, clearly mentioning that the said CA area is an orange forest area, shall be given by DFO Narayanpur.	वन मंडलाधिकारी, नारायणपुर वन मंडल का उपयुक्तता प्रमाण पत्र संलग्न है।
ii	The committee further decided that State Government will issue Stage-I approval only after receipt of revised site suitability certificate.	-

मुख्य वन संरक्षक कांकेर वृत्त से प्राप्त जानकारी अनुशंसा सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

(प्र.मु.व. संरक्षक द्वारा अनुमोदित)

अ.प्र.मु.व.स (भू-प्रबंध / वं. स. अ)
0/1 छत्तीसगढ़

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त, कांकेर (छत्तीसगढ़)



cefkanker3@gmail.com



(07868) 222014



(07868) 222472

क्रमांक/मा.चि./न.क्र.39/2020/ 464

कांकेर, दिनांक/24/2/2020

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक

(भू-प्रबंध)

छत्तीसगढ़ नवा रायपुर अटल नगर ।

विषय:-

Diversion of Forest land for Non-Forest under Forest Conservation Act 1980 Proposed for 16th B.N.(L.R.) C.A.F. Head Quarter Establishing Area 12.899 ha. regarding Registration No. FP/CG/Other/34216/2018

संदर्भ:-

आपका पत्र क्रमांक/भू-प्रबंध/विविध/115-741/431 दिनांक 22.02.2020

— III —

विषयांतर्गत संदर्भ में निवेदन है कि नारायणपुर जिले के नारायणपुर वनमंडल अंतर्गत सेनानी 16 वी वाहिनी (भा./र.) छ.स.बल नारायणपुर मुख्यालय हेतु "आऊट पोस्ट, ट्रेनिंग सेन्टर, स्कूल, अस्पताल, प्रशाराकीय एवं आवासीय भवन" स्थापना हेतु कुल 12.899 हे. राजस्व वन भूमि के गैर वानिकी कार्य हेतु व्यपवर्तन प्रस्ताव के संबंध में आपके संदर्भित पत्र के माध्यम से बिन्दु क्रमांक-1.1 की जानकारी चाही गई है, जिसके परिपालन में बिन्दु क्रमांक-1.1 की चाही गई जानकारी वनमंडलाधिकारी नारायणपुर वनमंडल ने अपने पत्र क्रमांक/मा.चि./1039 दिनांक 24.02.2020 द्वारा तैयार कर इस कार्यालय को प्रस्तुत किया गया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

बिन्दु क्रमांक	कार्यवाही विवरण
1.1	The Committee noted that the compensatory afforestation site has been selected at P 2359 in 25.798 ha. in Narayanpur Range of Narayanpur Forest Division .Though in the site inspection report the DFO Narayanpur has stated that the area is orange forest area but in site suitability certificate related to the said CA Site does not mention whether the area is an orange forest area, so a revised site suitability. certificate , clearly mentioning that the said CA area is an orange forest area, shall be given by DFO Narayanpur.
1.2	The Committee further decided that State Government will issue Stage-I approval only after receipt of revised site suitability certificate.

अतः प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही करने का सादर अनुरोध है ।

विविध - I संलग्न :- उपरोक्तानुसार ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध),
छत्तीसगढ़, रायपुर

क्रमांक/मा.चि./न.क्र.39/2019/465

प्रतिलिपि :-

- वनमण्डलाधिकारी नारायणपुर वनमंडल को उनके पत्र क्रमांक/मा.चि./1039 दिनांक 24.02.2020 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।
- सेनानी 16वी वाहिनी (भा./र.) छ.स.बल.जिला नारायणपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
नया रायपुर छ.ग.
संलग्नक 6112
दिनांक 26/02/2020

मुख्य वन संरक्षक
कांकेर वृत्त, कांकेर
कांकेर, दिनांक/24/2/2019

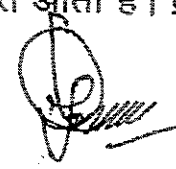
मुख्य वन संरक्षक
कांकेर वृत्त, कांकेर

उपयुक्ता प्रमाण पत्र

वाहिनी मुख्यालय हेतु 16 वाहिनी (भा./र) छ0स0 बल नारायणपुर द्वारा आवेदित भूमि 12.899 हे0 के बदले दुगुने क्षेत्र रकबा 25.798 हे0 में वैकल्पिक वृक्षारोपण के लिए प्रस्तावित क्षेत्र निम्नानुसार हैं :-

क्र	परिक्षेत्र	कक्ष क्रमांक	कुल क्षेत्रफल हे0 में	रोपण हेतु क्षेत्रफल हे0 में
1	2	3	4	5
1	नारायणपुर	खडकागांव नारंगी वनखण्ड 2359	197.58 हे0	25.798 हे0
	योग:-		197.58 हे0	25.798 हे0

प्रमाणित किया जाता है, कि 16 वाहिनी (भा./र) छ0स0 बल भूमि 12.899 हे0 के बदले में दुगुने क्षेत्र रकबा 25.798 हे0 में प्रस्तावित भूमि शासकीय अभिलेख /कक्ष इतिहास के अनुसार उक्त भूमि नारंगी वनक्षेत्र के अंतर्गत आता है। प्रस्तावित भूमि क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के लिए उपयुक्त है।



(डी.के.एस. चौहान)

"स.व.स."

वनमण्डलाधिकारी,

नारायणपुर वनमण्डल नारायणपुर

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, नारायणपुर वनमण्डल, नारायणपुर

Phone/Fax No. 07781-252228 (O), 252232 (R), E-mail - dfonpur1@gmail.com/ dfo-narayanpur.cg@gov.in

क्रमांक/मा0चि0/1039
प्रति,

नारायणपुर, दिनांक 24/02/2020

मुख्य वनसंरक्षक,
कांकेर वृत्त कांकेर,

विषय :- Diversion of 12-899 ha. of forest land in favour of CAF, Narayanpur, Chhattisgarh for Construction of 16 th B-N-(I R) C.A.F. Head Quarter Establishment under Forest Conservation Act.1980 in Narayanpur District in the state of chhsttitgarh.

संदर्भ :- मुख्य वन संरक्षक, (भू-प्रबंध / व.सं.अ) का पत्र क्रमांक/भू-प्रबंध/विविध /115-741/431 दिनांक 22.02.2020

—:00:—

विषयांतर्गत निवेदन है, कि संदर्भित पत्र के द्वारा चाही गई जानकारी तैयार कर आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सम्प्रेषित है।

1.1	The Committee noted that the compensatory afforestation site has been selected at p2359 in 25.798 ha.in Narayanpur Range of Narayanpur Forest Division Though in the site inspection report the DFO Narayanpur has stated that the area is orange forest area but in site suitability certificate related to the said CA site suitability certificate, clearly mentioning that the said CA area is an orange forest are, shall be given by DFO Narayanpur	जानकारी संलग्न है। 34 फुटलॉग अप्रॉक्स पत्र संलग्न है।
1.2	The committee further decided that State Government will issue Stage- I approval only after receipt of revised sit suitability certificate.	

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

चिप - 2

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
छत्तीसगढ़ सरकार

क्रमांक/मा0चि0/1040

प्रतिलिपि:-

(1) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (भू-प्रबंध/ व.सं.अ.) अरण्य भवन, अटल नगर, नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

(2) सेनानी 16 वाहिनी (भा/र) छ0स0 बल जिला- नारायणपुर की ओर सूचनार्थ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
नया रायपुर छ.ग.
संकेतक 111
दिनांक 26/02/2020

वनमण्डलाधिकारी,

नारायणपुर वनमण्डल नारायणपुर
नारायणपुर, दिनांक 24/02/2020

वनमण्डलाधिकारी,

नारायणपुर वनमण्डल नारायणपुर

उपयुक्ता प्रमाण पत्र

99

वाहिनी मुख्यालय हेतु 16 वाहिनी (भा./र) छ0स0 बल नारायणपुर द्वारा आवेदित भूमि 12.899 हे0 के बदले दुगुने क्षेत्र रकबा 25.798 हे0 में वैकल्पिक वृक्षारोपण के लिए प्रस्तावित क्षेत्र निम्नानुसार है :-

क्र	परिक्षेत्र	कक्ष क्रमांक	कुल क्षेत्रफल हे0 में	रोपण हेतु क्षेत्रफल हे0 में
1	2	3	4	5
1	नारायणपुर	खडकागांव नारंगी वनखण्ड 2359	197.58 हे0	25.798 हे0
	योग:-		197.58 हे0	25.798 हे0

प्रमाणित किया जाता है, कि 16 वाहिनी (भा./र) छ0स0 बल भूमि 12.899 हे0 के बदले में दुगुने क्षेत्र रकबा 25.798 हे0 में प्रस्तावित भूमि शासकीय अभिलेख /कक्ष इतिहास के अनुसार उक्त भूमि नारंगी वनक्षेत्र के अंतर्गत आता है। प्रस्तावित भूमि क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के लिए उपयुक्त है।

(डी.के.एस. चौहान)

"स.व.स."

वनमण्डलाधिकारी,

नारायणपुर वनमण्डल नारायणपुर